



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0-156/2021 धारा-452,354, 323,506,376 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुलायम पुत्र कल्लू यादव निवासी ग्राम इन्द्रपुरी, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
डीजीसी क्राइम- राजेश
कुमार शुक्ला



विवेचक-
उ0नि0 पंकज
तिवारी



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 संजीत कुमार